

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुञ्जुनू (राज.)
दिनांक 12.11.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बेंच न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी

मिसल नम्बर:-321 / 2022

किस्म प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

गुलाड़ी पत्नि माडूराम पुत्री श्योकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोल्याली तह. खेतड़ी
हाल आबाद वार्ड न. 7 देवनगर तन् बाडलवास तह. खेतड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुञ्जुनू
(राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.11.22	<p>आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1107 दिनांक 02.09.2022 के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम कोल्याली तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 हाल खाता संख्या 43, 100, 145 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि मूली पुत्री श्योकरण के स्थान पर गुलाड़ी पुत्री श्योकरण दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 12.11.2022 को मजमें आम में सुनाया गया।</p>	

(विजेन्द्र कुमार सेनी)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

(जय सिंह)

RAS
सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

(सुधी शर्मा)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायाधीश खेतड़ी

